"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 395] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2026 — आषाढ़ 26, शक 1948

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जुलाई 2026

आदेश

क्रमांक–एफ 03–02/स्था./2025/एक/678.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर में दिनांक–29.04.2026 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अधीन उपयुक्त पाये जाने पर **श्रीमती अनिता सिंह टांडिया, सहायक ग्रेड–1,** छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से **अनुभाग अधिकारी** (राजपत्रित) के पद पर वेतन मैट्रिक्स–Level-11 (वेतनमान–49100–155800) में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त निम्नांकित शर्तों पर पदोन्नत किया जाता है :–

1. पदोन्नत अधिकारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर पदभार ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका WP (PIL) No. 91/2019, S.Santosh Kumar Vs State Of Chhattisgarh & others में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.